रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2007/आषाढ़ 8, 1929
No. 137] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2007/ASADHA 8, 1929

भारतीय दन्त परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2007

सं. डी.ई.-130-2007.—दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का सोलहवां) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दन्त परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों को भारतीय दन्त परिषद् (विविध) नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिषद् के निरीक्षकों के लिए निम्नलिखित मापदण्ड होंगे.**—

(क) (i) प्रिंसिपल, (ii) प्रोफेसर अथवा रीडर की अर्हता तथा अनुभव रखता हो तथा रीडर के रूप में कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो;

(ख) ऐसे व्यक्ति जो किसी मान्यताप्राप्त दन्त संस्थान में एक सक्रिय अध्यापक है/रहा हो, परिषद् का निरीक्षक नियुक्त किया जा सकता है;

(ग) परिषद् का निरीक्षक अधिमानतः राज्य से बाहर का होना चाहिए;

(घ) ऐसा कोई भी व्यक्ति निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता जो दन्त चिकित्सा में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता न रखता हो;

(ङ) परिषद् का कोई सदस्य जो किसी मान्यताप्राप्त दन्त संस्थान में सक्रिय रूप से अध्यापक है, निरीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

3. **परिषद् के स्थायी निरीक्षकों संबंधी प्रावधान.**—परिषद् दन्त कालेजों के निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अध्यापकों को पूर्णकालिक निरीक्षक नियुक्त करेगी जिन्हें प्रतिनिरीक्षण के लिए प्रतिदिन 5000 रुपए का मानदेय तथा यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

4. परिषद् के स्थायी निरीक्षकों के कार्य इस प्रकार होंगे :–

(i) भारतीय दन्त परिषद् के मानदण्डों के अनुसार गहन निरीक्षण करना;

(ii) निरीक्षण रिपोर्ट में अपनी टिप्पणियां लिखेंगे;

(iii) परिषद् अथवा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य तथा अपने कार्यों के प्रति परिषद् के लिए उत्तरदायी होंगे;

(iv) निरीक्षक अपनी रिपोर्ट में अन्य संगत टिप्पणियां भी लिख सकता है जिन्हें लिखना वे वांछनीय समझता हो।

5. भारतीय दन्त परिषद् के निरीक्षकों को निरीक्षण शुल्क के रूप में 2500 रुपए दिए जाएंगे।

6. भारतीय दन्त परिषद् द्वारा जारी संकाय पहचान पत्र रखना आवश्यक है।

7. यदि कोई संकाय (प्राध्यापक वर्ग) सदस्य एक शैक्षिक वर्ष में एक से अधिक संस्थानों में उपस्थित पाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. निजी दन्त कालेजों में संकाय (प्राध्यापक वर्ग) की नियुक्ति उचित चयन समिति के माध्यम (संबंधित राज्य के विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार) से की जानी चाहिए।

9. देश के दन्त संस्थानों का राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा प्रत्यायन आवश्यक है।

10. सभी दन्त संस्थानों और दन्त चिकित्सा में जीव-विज्ञान संबंधी कूड़ा-करकट प्रबंधन तथा संक्रमण नियंत्रण उपाय बर्तना आवश्यक है।

11. सभी विश्वविद्यालयों को भारतीय दन्त परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

12. विविध तथा आकस्मिक प्रकृति के खर्च के लिए सचिव के पास रहने वाली स्थायी अग्रिम राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए की जाती है।

13. मान्यताप्राप्त कालेजों का आवधिक निरीक्षण पांच वर्ष के अन्दर-अन्दर करना होगा ताकि संकाय (प्राध्यापक वर्ग) संबंधी स्थिति पर चैक रखा जा सके और दन्त चिकित्सा का स्तर बनाया रखा जा सके। जो दन्त संस्थान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए परिषद् को आवेदन करते हैं, उनके मामले में आवधिक निरीक्षण आवश्यक है।

मे. ज. (सेवानिवृत्त) डॉ. पी. एन. अवस्थी, सचिव

[विज्ञापन III/IV/98/2007-असा.]

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2007

No. DE-130-2007.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations:—

1. Short title and commencement :—

(1) These Regulations may are called the Dental Council of India (Miscellaneous) Regulations, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Criteria for Council's Inspectors would be as follows:

(a) Should possess qualification and experience for-(i) Principal, (ii) Professor, or (iii) Reader with minimum 3 years of teaching experience as Reader;

(b) Person who is/has been an active teacher in a recognized Dental Institution can be appointed as Council's Inspector;

(c) The Council's Inspector shall be appointed preferably from outside the State;

(d) No Council's Inspectors can be appointed without recognized post graduation qualification in Dentistry;

(e) Members of the Council who is an active teacher in a recognized Dental Institution can be appointed as an Inspector.

3. **Provision for Permanent Council's Inspectors :—** The Council shall appoint senior teachers, as full time Council's Inspectors to inspect the Dental Colleges with a remuneration of Rs. 5,000 per day plus T.A. per inspection.

4. **Duties of Permanent Council's Inspectors would be as follows:—**

(i) carry out comprehensive inspection as per DCI norms;

(ii) Inspectors shall convey their observations;

(iii) perform such other duties as may be entrusted to them by the council or by the President from time to time and shall be responsible to the Council in all matters pertaining to their duties;

(iv) include in his report such other relevant observations as he may deem desirable.

5. DCI Inspectors to be paid Rs. 2,500 as Inspection Fees.

6. Faculty ID Card issued by the Dental Council of India is mandatory.

7. Faculty cannot be accepted if he/she has been shown in more than one inspection in one academic year.

8. The appointment of faculty in private dental colleges should be made through proper selection committee (as per University Act of the concerned State).

9. Accreditation of Dental Institutions in the country by National Assessment and Accreditation Council (NAAC) is mandatory.

10. Biological Waste Management and Infection Control Measures are mandatory for all Dental Institutions and in Dental Practices.

11. All the Universities in the country has to follow the minimum guidelines as laid down by the Dental Council of India.

12. Increase of permanent advance with Secretary from Rs. 200 to Rs. 5,000 to sanction expenditure of miscellaneous and contingent nature.

13. The periodic inspection of the recognized colleges has to be done within 5 years to keep a check on the faculty and to maintain the standards of dental education. Dental Institution applying to Council for starting PG Courses, the periodic inspection is mandatory.

Maj. Gen. (Retd.) P. N. AWASTHI, Secy.

[ADVT. III/IV/98/2007-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2015/ ज्येष्ठ 13, 1937
No. 202] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2015 / JYAISTHA 13, 1937

भारतीय दंत्य परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2015

सं. डीई–130–2014.–दंतचिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय दंत्य परिषद एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 29 जून, 2007 के मौजूदा मूल भारतीय दंत्य परिषद (विविध) विनियम, 2007 में निम्न संशोधन करती है:

1. **लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन**

   (i) इन विनियमों को भारतीय दंत्य परिषद (विविध) (पहला संशोधन) विनियम, 2015 कहा जाएगा।

   (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. "भारतीय दंत्य परिषद (विविध) विनियम, 2007" में क्रम संख्या 14 पर निम्न निरीक्षण क्रियाविधि सन्निविष्ट की जाएगी:

"14. **निरीक्षणों के लिए क्रियाविधि**

(i) निरीक्षण सर्वथा गोपनीय होना चाहिए।

(ii) समूचा निरीक्षण अनिवार्यतः वीडियोग्राफ होना चाहिए और साथ ही कार्यकारी समिति द्वारा देखा जाना चाहिए।

(iii) परिषद के निरीक्षकों/परिदर्शकों को, किसी प्रकार के भ्रष्ट व्यवहार में प्रवृत्त पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कानूनी/दाण्डिक कार्रवाई के संबंध में प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर अवश्य करने होंगे।

(iv) यदि किसी संकाय द्वारा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पंजीकरण को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और कानूनी/दाण्डिक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।

(v) दंत्य कालेजों को अपनी कमियों के अनुपालन के संबंध में सामान्यतः एक मौका दिया जाना चाहिए।

(vi) रक्षा सेवाओं के जो डाक्टर, सक्रिय अध्यापक हैं उन्हें भी परिषद के निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।"

कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. एस. के. ओझा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./98/14]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम तथा 'भारतीय दंत्य परिषद (विविध) विनियम, 2007' भारत के राजपत्र के भाग III, खंड (4) में दिनांक 29 जून, 2007 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित हुए थे।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2015

No. DE-130-2014.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendments to the existing principal Dental Council of India (Miscellaneous) Regulations, 2007, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 29th June 2007:-

1. **Short title and commencement:-**

(i) These Regulations may be called the **Dental Council of India (Miscellaneous) (1st Amendment) Regulation, 2015**.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In "Dental Council of India (Miscellaneous) Regulation, 2007", the following inspection procedure, shall be inserted at serial number 14:-

"14. **Procedure of DCI Inspections**

(i) The inspection should be strictly confidential.

(ii) The whole inspection **necessarily** be video-graphed and also be viewed by the Executive Committee.

(iii) The Council inspectors/visitors must sign an undertaking with regard to legal/criminal action against him/her if found indulge in any kind of corrupt practices.

(iv) If any false affidavit is submitted by any faculty, action would be initiated for cancellation of his/her registration and legal/criminal action may also be initiated.

(v) The dental colleges should normally be given one opportunity for compliance in respect of their deficiencies.

(vi) Doctors from the Defence Services those are active teachers should also be appointed as Council's Inspectors."

Col. (Retd.) Dr. S. K. OJHA, Offg. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./98/14]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Dental Council of India (Miscellaneous) Regulation, 2007" were published in Part III, Section (4) of the Gazette of India vide Notification dated the 29th June, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.